मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्सः0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 273 — दिनांक – 29/2/2020

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक,
निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः– समिति द्वारा विनियमित की गई शिक्षण शुल्क तथा अन्य मदों के ऐच्छिक शुल्क के संबंध में।

***

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के शिक्षण शुल्क का विनियमन किया गया है। संबंधित संस्थाओं के आदेश जारी करते हुये इनकी सूचना समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। समिति द्वारा सत्र 2019–20 से ऐच्छिक मद में लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसकी जानकारी इस सचिवालय के माध्यम से आपकी संस्था को प्रेषित की गई है।

समिति, सचिवालय को अभ्यर्थियों / अभिभावकों से विभिन्न श्रोतों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें किये गये उल्लेखानुसार कुछ संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों से समिति द्वारा विनियमित की गई शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क तथा ऐच्छिक मद में निर्धारित किये गये शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्राप्त पत्रों को संज्ञान में लिया गया है तथा दिये गये निर्देशानुसार संस्था प्रवेशित अभ्यर्थियों से समिति द्वारा विनियमित शिक्षण शुल्क ही लेने की कार्यवाही करें तथा ऐच्छिक मदों में भी प्रवेशित अभ्यर्थियों से समिति द्वारा निर्धारित राशि ही ली जावें।

संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में समिति द्वारा विनियमित की गई शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने तथा प्रवेश नियम में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त छात्रों से अधिक शुल्क लेने पर मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 तदोपरांत संशोधित अधिनियम–2013 की धारा–4 की उपधारा–9 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही करेगी।

अतः समस्त निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में संस्था, समिति द्वारा विनियमित की गई शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली न करें। संस्थाऐं इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी समिति, सचिवालय में भेजने का कष्ट करें, ताकि समिति की आगामी बैठक में इसे संज्ञान में लिया जा सके।

(सुखलाल सांगुले)
उप सचिव (तकनीकी)

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / — दिनांक –

प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुखलाल सांगुले)
उप सचिव (तकनीकी)